न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन **अधिकारी :–एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस.,कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर**

प्रकरण संख्या :– 01/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00001)

व उनवानी प्रकरण :–

1. देवी सिहं पुत्र मुरली सिहं जाति ठाकुर निवासी परसुआपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर———— प्रार्थी/अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग) धौलपुर———— अप्रार्थी/रैस्पोडेण्ट।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु ।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री प्रमोद परमार अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 30.07.2018

निर्णय

यह प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2017 के द्वारा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश कमांकः1954–58 दिनांक 03.07.2017 को निरस्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय संगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 06.12.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह इस सम्बन्ध में कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

प्रार्थी की ओर से श्री प्रमोद परमार अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पारासर सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्रार्थी के चरित्र सम्बन्धी एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के साथ चाही गई।

(नन्दमल पहाडिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी के खिलाफ थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 158/05 धारा 147, 148, 149, 323, 325 भा0 द0 स0 दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 123 दिनांक 22.10.2005 को किता की जाकर चालान दिनांक 7.11.2005 को पेश न्यायालय किया गया प्रकरण हाजा में माननीय न्यायालय अपर सैशंन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2 धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2007 में प्रार्थी को धारा 323, 325 में राजीनामा से बरी तथा धारा 148 में दोषी घोषित किया जाकर पॉच हजार रूपये के जमानत मुचलके से एक वर्ष के लिए पाबन्द कर रिहा किया गया है। अतः प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किये जाने की अनुशंषा की है ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का चरित्र एवं चाल–चलन अच्छा है। प्रार्थी शांत स्वभाव का व्यक्ति है। प्रार्थी के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने जो प्रकरण दर्ज होना बताया है वह वर्ष 2005 का है जिसमें प्रार्थी को वर्ष 2007 में बरी किया जा चुका है। वर्तमान में प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक एवं सजायावी रिकार्ड दर्ज नहीं है। प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2007 से लगातार वर्ष 2015 तक नवीनीकरण होता चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 158/05 धारा 147, 148, 149, 323, 325 भा0 द0 स0 दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 123 दिनांक 22.10.2005 को किता की जाकर चालान दिनांक 7.11.2005 को पेश न्यायालय किया गया प्रकरण में माननीय न्यायालय अपर सैशंन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2 धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2007 में प्रार्थी को धारा 323, 325 में राजीनामा से बरी तथा धारा 148 में दोषी घोषित किया जाकर पॉच हजार रूपये के जमानत मुचलके से एक वर्ष के लिए पाबन्द कर रिहा किया गया है। प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है यदि प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण किया जाता है तो प्रार्थी कभी भी किसी भी प्रकार की वारदात को अन्जाम दे सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल नहीं किये जाने की सिफारिश की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.5.2018 में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत नोटिस देकर प्रार्थी का पक्ष सुना जा चुका है। अधिनियम की धारा 17 (3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने और निरस्त करने की व्यापक शक्तियॉ प्रदान करता है। धारा 17(3)(बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन

(नन्दमल पहाडिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती हैं जहाँ अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहाँ तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि का है वह पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ही हो सकती है जो कि लोक शान्ति व सुरक्षा के लिए जिले के उत्तरदायी अधिकारी हैं। आयुध अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर./न्यायालयों के निर्णय/पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर समग्र विचारण के बाद ही हो सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एंव अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाली /नवीनीकरण करने सम्बन्धी खारिज करते हुए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(एन. एम. पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)